शक्तियों की अनुसूची
SCHEDULE OF POWER

डीजल रेल इंजन कारखाना
वाराणसी - 221004

DIESEL LOCOMOTIVE WORKS
VARANASI - 221004

प्रस्तावना

किसी भी संगठन का प्रभावी एवं दक्ष प्रशासन मुख्य रूप से उसके पास ज्ञान कोष की नवीनता पर निर्भर करता है। विभिन्न स्तरों पर शक्तियों का प्रत्यायोजन न केवल अविलम्ब निर्णय में सहायक है, अपितु रेल के हित में विवेक के प्रयोग पर उत्तरदायित्व एवं सावधानी का बोध भी कराता है।

वर्तमान शक्तियों की अनुसूची नवम्बर 2014 में जारी की गई थी। उसके प्रकाशन के बाद डीरेका में सभी अध्यायों के बहुत से नए एवं व्यापक प्रत्यायोजन किए गए है, जिनके लिए समय–समय पर शुद्धि पत्र भी जारी किए गये हैं। इन सभी परिशोधनों एवं परिवर्धनों से अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अवगत रखने हेतु यह आवश्यक है कि पिछले सभी परिवर्तनों को समाहित करतें हुए एक नए एसओपी को जारी किया जाय।

मुझे विश्वास है कि यह अद्यतन संकलन, कार्यकारी अधिकारियों के लिए निर्णय लेने में त्वरित संग्रह का कार्य करेगा तथा वांछित प्रत्यायोजनों को न्यायोचित एवं प्रभावी ढंग से कर उनकी कार्यक्षमता को बढाएगा। नए एसओपी को डी.एल.डब्ल्यू वेबसाइट www.dlw.railnet.gov.in पर भी देखा जा सकता है।

अद्यतन एस.ओ.पी. को तैयार एवं संकलित करने वाले संबंधित कार्मियों का प्रयास नितान्त सराहनीय है। कोई भी प्रश्न, सुझाव एवं प्रतिपुष्टि कृपया उप महाप्रबंधक को भेजें जिससे आगे भी इन प्रयासों को और उन्नत किया जा सकें।

(अशोक कुमार हरित)
महाप्रबंधक
डीरेका/वाराणसी

FOREWORD

Effective and efficient administration of any organisation predominantly depends upon the repository of updated knowledge it possesses. Delegation of Power to various levels not only results in expeditious decision making but also instills a feeling of responsibility and care in using discretion in the interest of the Railway.

The current Schedule of Powers (SOP) was issued in November, 2014. After its publication, many new and comprehensive delegations have been done at DLW, of all the chapters of SOP, for which a number of correction slips have been issued from time to time. In order to ensure that both officers and staff are kept abreast of all these revisions and modifications, it was necessary to bring out a fresh SOP duly incorporating all the changes made in the past.

I am sure that this updated compilation will serve as a ready reference in decision making and the enhanced delegation will be utilized effectively and judiciously by executives to accelerate the pace of working. The updated SOP can also accessed online through DLW website www.dlw.railnet.gov.in.

The efforts of the concerned officials for the compilation & preparation of the update SOP are highly commendable. Queries, suggestions and feedback may please be forwarded to Deputy General Manager, so as to improve upon this effort further.

DLW, Varanasi

Date:- 01.08.2016

(Ashok Kumar Harit)
General Manager
DLW / Varanasi.

प्रस्तावना

रेलवे वित्तीय कोड खण्ड- 1 प्रथम संस्करण, 1982 (द्वितीय पुनर्मुद्रण- 1998) के अध्याय 5 का अनुलग्नक-II अन्य भारतीय रेलवे कोड और रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार महाप्रबन्धक ने निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी के परामर्श से, उच्च प्रशासनिक श्रेणी, वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी, कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी और अन्य अधिकारियों को अनुसूची में इंगित सीमा तक शक्तियाँ एतद् प्रत्यायोजित की जाती है। शेष शक्तियों का प्रयोग महाप्रबन्धक द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया जाता रहेगा।

इन शक्तियों का प्रयोग वित्तीय औचित्य के सिद्धान्त और संबद्ध कोडों के प्रावधानों, नियमों तथा रेलवे बोर्ड और महाप्रबन्धक द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों और अनुदेशों के अधीन होगा।

यह अनुसूची दो भागों में है। भाग- 1 में भण्डार सहित सामान्य मामलों के संबंध में शक्तियों का प्रत्यायोजन दिया गया है। और भाग- 2 में स्थापना संबंधी मामले है। अपने आधीन कार्यरत कर्मचारियों के स्थापना संबंधी मामलों में विसमुलेधि द्वारा मुकाधि प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया जायेगा, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

यद्यपि रेलवे कार्य के सभी मदों हेतु प्रत्यायोजन के प्रावधान का प्रयास किया गया है फिर भी इस संग्रह का उपयोग करने वाले अधिकारी, कर्मचारी अपनी कठिनाईयों से, यदि कोई हो तो, प्रशासन को अवगत कराएं तथा यदि शक्तियों के प्रत्यायोजन में सुधार विस्तार इत्यादि आवश्यक समझते हैं तो अपने सुझाव संबंधित प्रमुख विभागाध्यक्ष के माध्यम से उप महाप्रबंधक एवं सचिव महाप्रबंधक तथा उप मुख्य विसमुलेधि/एस एण्ड डब्ल्यू को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजें।

वित्तीय प्रतिबद्धता से जुड़ी हुई स्वीकृति, उपयुक्त शीर्ष के अन्तर्गत बजट आवंटन के भीतर संबंधित कार्य हेतु पर्याप्त निधि को सुनिश्चित किए बिना सामान्यतया नही दी जाय।

अनुसूची में दी गई शक्तियों का प्रयोग वित्तीय सहमति के साथ किया जायेगा जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो। हिन्दी एवं अंग्रेजी रूपों के बीच किसी भ्रम की स्थिति में अंग्रेजी रूप को प्रभावी माना जाएगा।

शक्तियों का यह प्रत्यायोजन सभी पूर्व प्रत्यायोजन के अधिक्रमण के रूप में हैं जो 01.08.2016 से प्रभावी है।

महाप्रबंधक
डीरेका/वाराणसी

PREFACE

In exercise of the powers vested in the General Manager vide Annexure II to Chapter V of Indian Railway Financial Code, Vol. I, first edition 1982, (Second Reprint 1998), other Indian Railway Codes and orders issued by Railway Board from time to time and in consultation with FA & CAO, powers are there by delegated to the Higher Administrative Grade, Senior Administrative Grade, Junior Administrative Grade and other officers to the extent indicated in the schedule. The remaining powers will continue to be exercised by General Manager personally.

These powers shall be exercised subject to the observance of the cannons of financial propriety and the provision of the relevant, codes, rules manuals orders & instructions issued by Railway Board and General Manager from time to time.

Part-I of the schedule deals with the delegation of powers on General matters including Stores and Part –II deals with the Establishment matters. The powers of CPO in Establishment matters will be exercised by FA & CAO for staff working under him unless otherwise indicated.

Although efforts have been made to provide for delegation for various items of Railway working, the officers and staff who use this compilation may bring to notice of Administration their difficulties, if any, and send their suggestions where they consider that the powers delegated require modification/amplification etc., through PHOD / CHOD concerned to Dy GM & Secy. to GM any Dy. FA & CAO / S&W for the needful.

Sanction involving financial commitment shall not ordinarily be given without securing for this purpose adequate funds within the budget allotment under proper heads.

The powers given in the schedule shall be exercised with the concurrence of Associate Finance unless otherwise indicated in the schedule. In case of any confusion between the Hindi and English versions, the English version shall prevail.

These delegation of powers are in supersession of all previous delegations and will come into force w.e.f. 01-08-2016.

General Manager
DLW / Varanasi.

उद्देशिका

इस संयुक्त शक्तियों की अनुसूची में विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रतिपुष्टि के परिणामस्वरूप संशोधन एवं आशोधन शामिल किए गए हैं। इसके साथ-साथ एस.ओ.पी. में अद्यतन संशोधन पर्ची के साथ रेलवे बोर्ड से महाप्रबधक को प्रत्यायोजन शक्तियों को भी शामिल किया गया है।

ऐसे मामलों, जहाँ विशेष रूप से प्राधिकृत किया गया हो, को छोड़कर पुनर्प्रत्यायोजन अनुमेय नहीं है। पुनर्प्रत्यायोजन के लिए प्राधिकार (क) बोर्ड द्वारा प्रदत्त महाप्रबंधक का प्रत्यायोजन (ख) संहिता प्रावधान और (ग) रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी पत्र के संदर्भ में निर्दिष्ट किया जाता रहा है। प्रत्यायोजन शक्तियों का प्रयोग केवल निर्दिष्ट प्राधिकारियों द्वारा तथा विनिर्दिष्ट सीमा तक किया जाएगा। इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रत्यायोजन सभी स्तरों पर मामलों के शीघ्र निष्पादन एवं विकेन्द्रीकरण के लिए आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किया गया है। अतएव यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इसमें उल्लिखित शक्तियों को सही परिप्रेक्ष्य में रखा जाए और इनका प्रयोग विवेक पूर्वक किया जाए।

प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग वर्तमान संहिता प्रावधानों एवं अन्य विद्यमान आदेशों के अनुपालन के अधीन हैं। स्वीकृतकर्ता प्राधिकारियों को भारतीय रेल वित्तीय संहिता भाग-1 के पैरा 116 में उल्लिखित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्त का समुचित ध्यान रखना होगा। शक्तियों का प्रयोग संगत मांग के लिए उपयुक्त लेखा शीर्ष के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के अधीन है।

स्थापना एवं अन्य मामलों के संबंध में महाप्रबन्धक की व्यक्तिगत स्वीकृति के लिए अपेक्षित प्रावधानों को अन्त में अनुलग्नक में अलग से दिया गया हैं। सभी अधिकारियों का यह दायित्व होगा कि वे शक्तियों के प्रत्यायोजन को, जारी किए गये संशोधनों से अद्यतन करें।

प्रत्यायोजन को चार भागों के अन्तर्गत समूहबद्ध किया गया है।

(क) एस.ए.जी./एस.ए.जी.

(ख) जे.ए.जी.

(ग) वरिष्ठ वेतनमान

(घ) कनिष्ठ वेतनमान/ग्रुप 'बी'

इस एस.ओ.पी. में विभिन्न अधिकारियों के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के लिए पूर्व वित्तीय सहमति आवश्यक होगी, जब तक कि अन्यथा स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट न किया गया हो।

इस पुस्तक में उल्लिखित न की गई शक्तियों का प्रयोग महाप्रबन्धक द्वारा किया जायगा।

प्रत्यायोजन की प्रणाली के प्रभावशाली कार्य के लिए आशोधन हेतु विवेक सम्मत/सकारण सुझावों का स्वागत है। सुझाव उप महाप्रबंधक एवं सचिव महाप्रबंधक को सामान्य

कार्यालयी माध्यम से दिए जाएं। अनुसूची में विशिष्ट मदों से संबंधित संशोधनों से युक्त संशोधन पर्ची आवश्यकता पड़ने पर जारी की जाएगी।

डीरेका / वाराणसी

(अनूप कुमार सक्सेना)
उप वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी

(मनीष गुप्ता)
उप महाप्रबंधक एवं सचिव महाप्रबंधक

PREAMBLE

As a result of feedback received from different departments, Corrections and modifications have been incorporated in this combined Schedule of Powers. This SOP inter-alia also includes the Delegation of Powers to General Manager from Railway Board with Advance Correction Slips.

No re-delegation is permissible except in cases where it is specifically authorized. The authority for re-delegation has been indicted in terms of references to (a) GM's delegation given by Board (b) Codal provisions and (c) Railway Board's letters issued from time to time. The powers delegated shall be exercised only by the authorities indicated and to the extent specified. The delegation of powers specified in this Schedule has been made with due regard to the need for decentralization and expeditious disposal of matters at all levels. It shall therefore be ensured that the powers mentioned herein are viewed in their correct perspective and exercised judiciously.

The exercise of the powers delegated is subject to the observance of provisions of the existing codal provisions and other extant orders. The sanctioning authorities shall pay due regard to the cannons of financial propriety which are enumerated in Para -116 of Indian Railway Financial Code Vol. I. The exercise of Powers is subject to availability of funds against the appropriate head of account under the relevant demand.

Provisions requiring GM's personal sanction corresponding to establishment and other mater is given separately in Annexure at the end.

It is the responsibility of each one of the officials to up date the Schedule of Powers continuously as and when corrections are issued.

The delegation has been grouped under three headings :

(a) SAG
(b) JAG
(c) Sr. Scale
(d) Jr. Scale / Gr. 'B'.

The powers delegated to different officials in this SOP will require prior Finance concurrence, unless otherwise explicitly specified.

Departmental heads in SAG will exercise the Financial power of CHOD.

The powers, which are not mentioned in this book, are to be exercised by GM.

Suggestions for modification, with rationale/reasons therefor, for effective functioning of the system of delegation, are welcome.

Suggestions may be addressed to DGM-cum-secy. to GM through normal official channel. Correction slips embodying aendments to thespecific, items in the Schedule will be issued as and when necessary.

DLW / Varanasi

(Anoop Kumar Saxena)
Dy. FA & CAO /S & W

(Manish Gupta)
DGM cum Secy. to GM

विषय सूची

एस.ओ.पी. - सामान्य

अध्याय क्रमांक	अध्याय का नाम	पृष्ठ संख्या
1.	कार्य एवं मशीन तथा संयंत्र	4
2.	क्रय	14
3.	निविदा संविदाएं एवं करार (कार्य के लिए)	37
4.	फुटकर व्यय	48
5.	बिक्री एवं निपटान	53
6.	चिकित्सा	58
7.	कानूनी प्रभार	68
8.	जनसंपर्क	69
9.	विविध	73
10.	विपणन	83
13.	सूचना प्रौद्योगिकी मामले	111

एस.ओ.पी. - स्थापना

अध्याय क्रमांक	अध्याय का नाम	पृष्ठ संख्या
11.	अराजपत्रित	88
12.	राजपत्रित	104

INDEDX

SOP - GEN

CHAPTER NO.	CHAPTER NAME	PAGE NO.
1.	Works and M&P	4
2.	purchase	14
3.	Tender Contracts and Agreement (For Works)	37
4.	Contingent Charges	48
5.	Sales and Disposal	53
6.	Medical	58
7.	Law Charges	68
8.	Public Relations	69
9.	Miscellaneous	73
10.	Marketing	83
13.	I.T. Matteras	111

SOP - EST

11.	Non - Gazetted	88
12.	Gazetted	104

MISCELLANEOUS

13.	Delegation of Powers to General Managers-Revision of Annexure -C	120